



2025:RJ-JP:45588

[2025:RJ-JP:45588]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13997/2025

Dharmveer S/o Shri Arjun Singh, Aged About 35 Years, R/o B-Narayan Gate, Bharatpur Nursing Home Wali Gali, B-Narayan Gate, P.s. Mathura Gate, Bharatpur (At Present In Central Jail Bharatpur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Satyapal Poshwal, Adv. with Mr. Harshit Mehta, Adv. Ms. Seema Jharwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP Mr. Jagmohan Bhardwaj, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

13/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना मथुरागेट, जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक 14.10.2025 से अभिरक्षा में है, मृतक उपेन्द्र पर ट्रेक्टर चढ़ाकर मारने का आरोप सहअभियुक्त जितेन्द्र पर है, उसकी जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी/अभियुक्त धर्मवीर



व सहअभियुक्त राजवीर पर यह आरोप है कि उन्होंने ट्रेक्टर ड्राइवर को उपेन्द्र के ऊपर ट्रेक्टर चढ़ाकर मारने के लिए उकसाया था, सहअभियुक्त राजवीर की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उससे भिन्न नहीं है। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया था, धारा 319 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त को अभियुक्त बनाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने ट्रेक्टर ड्राइवर जितेन्द्र को मृतक उपेन्द्र के ऊपर ट्रेक्टर चढ़ाने के लिए उत्प्रेरित किया था। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व राजवीर पर समान प्रकृति का आरोप है, जिसके अनुसार उन्होंने सहअभियुक्त जितेन्द्र को मृतक उपेन्द्र पर ट्रेक्टर चढ़ाने के लिए उत्प्रेरित किया था। सहअभियुक्तगण अर्जुन व राजवीर का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11458/2025 आदेश दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण सहअभियुक्त राजवीर के समान है। मुख्य अभियुक्त जितेन्द्र का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5517/2024 आदेश दिनांक 30.09.2024 के द्वारा समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.10.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के अन्वेषण/विचारण में समय लगेगा।



2025:RJ-JP:45588

[2025:RJ-JP:45588]

(3 of 3)

[CRLMB-13997/2025]

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **धर्मवीर पुत्र अर्जुन सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /133 (8)